अपील सूचना अधिकार संख्या 168/2020 (GCMS 2020/00291) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पोस्ट ऑडर क्रमाक 48एफ–446938) <u>बनाम</u> प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

<u>18.01.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने प्रभारी आकिारी, रिकॉर्ड शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 23.11.2020 से सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/– शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.11.2020 के द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> आपका पत्र 6797 दिनांक 13.09.18 के साथ संलग्न पत्रांक 4005 दिनांक 16.07.2018 निर्वाचक रजिस्ट्रकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से समस्त सूचनाएं – पत्र की पैरा सं.–2 में यह तथ्य अंकित है कि
>
> 1. बैंक प्रशासन द्वारा दिनांक 5.04.14 से दिनांक 7.04.2014 तक बीएलओ श्री सु[illegible] को [illegible] छोड़ने की अनुमति दी गई थी एवं इसी पैरा में य[illegible] तथ्य अंकित है कि तत्कालीन ईआरओ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1638 दिनांक 02.03[illegible] से यह अंकित किया [illegible] सुभाष गोयल की लोकसभा चुनाव में ड्यूटी निरस्त की। उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

समय ई.आर.ओ. श्री कैलाश जी शर्मा ... पदासीन थे एवं पत्र श्री यशपालजी आहुजा .... पत्रांक 4005 दिनांक 16.07.2018 लिखा हुआ है। अतः दिनांक 5.4.14 से 7.4.14 तक ड्यूटी पर ही नही था तो ड्यूटी चुनाव में किसी आाार पर लिखी गयी है।

2. एक तरफ बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल अपने आपको दिनांक 5.4.14 से दिनांक 7.4.14 तक मुख्यालय छोड़ने के कथन कर रहे है तो यह पत्र जिस तारीख को निर्वाचन विभाग के जिस अधिकारी को उस तारीख व क्रमाक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. बीएलओ के स्वयं के बयान व कार्य निष्पादन लोकसभा चुनाव 2014 में किये गये की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. जिस सेक्टर मजिस्ट्रेट के अधीन बीएलओ श्री सुभाष गोयल द्वारा जिस अवधि से जिस अवधि तक लोकसभा चुनाव में कार्य किया उस अवधि की सूचना व कार्य की प्रमाणित प्रति।
5. जिस सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के अधीन कार्य किया, लोकसभा चुनाव में उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना व कार्य किये गये की अवधि की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. पत्रांक 4005 दिनांक 16.7.2018 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा लिया गया है इस पत्रावली पर कार्य करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।
7. बीएलओ सुभाष गोयल दिनांक 5.4.14 से 7.4.14 तक मुख्यालय पर न होने पर दिनांक 6.4.14 [illegible] निरन्तर होने के कथन मिथ्या करने के अधिकारी [illegible] कार्यवाही की सूचना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार ने अपने पत्रांक रिकार्ड शाखा/सूकाअ/2020/334 दिनांक 04.12.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संलग्न इस शाखा को प्राप्त पत्र (पोस्टल ऑडर संख्या 48एफ–446938) के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना के अधिकार के तहत सूचना इस पत्र के संलग्न भिजवाई जा रही हे।
>
> **संलग्न – उपरोक्तानुसार।**
>
> -sd-
> प्रभारी अधिकारी
> जिला अभिलेखागार
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकि प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:34 IST
Reason: SelfAttested